Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 4, July-2022, ISSN 2230-7540

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के शिक्षा कार्यान्वयन की भूमिका का अध्ययन

Mohammad Meraz Khan[1]*, Dr. Sachin Kaushik[2]

[1] Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

[2] Associate Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

***सार** - आरटीई अधिनियम जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना और ज्ञान-आधारित समाज की नींव रखना है। यह कानून काफी हद तक उस दिशा में उत्प्रेरक का काम करता है जो असमानता को कम करने और सभी बच्चों के लिए गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने भी शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और सुलभ बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 में अधिनियमित किया गया था। यह एक अधिकार है जो समावेशी दृष्टिकोण पर आधारित है, मुख्य रूप से समाज के सभी वर्गों को न केवल हाशिए पर रहने वाले लोगों को बल्कि दलित व्यक्तियों को भी शिक्षा प्रदान करना है। कुंआ। यह एक व्यापक कानून है जो अनिवार्य रूप से भारत में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी मुद्दों जैसे स्कूलों, शिक्षकों, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और पहुंच को संबोधित करता है। हालाँकि यह अधिनियम व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए सरकार और समुदाय को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देता है। अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अध्ययन एवं मूल्यांकन आवश्यक है।*

***कीवर्ड-** शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सरकार, शिक्षा, स्कूल, शिक्षक*

----------X----------

परिचय

शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने, किसी के कौशल में सुधार करने और परिपक्व दृष्टिकोण और मूल्यों के विकास के लिए मार्गदर्शन करने की क्षमता को प्रकट करती है। यही बात शिक्षा के लिए भी सच है: यह किसी व्यक्ति की समाज के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा, यह मानव प्रगति का केंद्रीय पहलू है। अधिक न्यायसंगत और समतापूर्ण दुनिया की दिशा में व्यक्तिगत एजेंसी और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है। आधुनिक युग में, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि लोकतंत्र की सफलता और दीर्घायु काफी हद तक इसकी शैक्षिक प्रणाली की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। एक लोकतांत्रिक समाज में रहने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभवों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाना चाहता है। इसलिए, राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है।

आज के समाज में, शिक्षा तक पहुंच को अन्य सभी अधिकारों के प्रयोग के लिए आवश्यक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में देखा जाता है। बिना किसी संदेह के, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने अपने समझौतों, घोषणाओं, सिफारिशों और चार्टरों के माध्यम से शिक्षा के अधिकार के लिए एक मानक आधार स्थापित किया है। शायद इन विधायी ढांचे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता इस आदर्श को साकार करने की अनुमति देती है कि सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा तक समान और निर्बाध पहुंच मिलनी चाहिए।

किसी देश की वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षा निस्संदेह सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचना और सीखने पर आधारित सभ्यता के निर्माण में मदद करता है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए

www.ignited.in

भी कदम उठाए हैं कि सभी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम इस संदर्भ में 2009 में पारित किया गया था। समाज के सभी सदस्यों, यहां तक कि समाज के सबसे वंचित और हाशिए पर रहने वाले सदस्यों को शिक्षित करना एक मौलिक मानव अधिकार है। स्कूल, प्रशिक्षक, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और पहुंच भारत में प्राथमिक शिक्षा के कई पहलुओं में से कुछ हैं जो इस सर्वव्यापी कानून के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, अधिनियम लोगों को यह माँग करने की क्षमता देता है कि उनकी सरकारें और समुदाय उनके अधिकारों का सम्मान करें। इसलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की जांच और मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके अधिनियमन ने भारत को उन 135 देशों में से एक बना दिया, जिन्होंने 'शिक्षा' को एक मौलिक अधिकार बना दिया था। हर बच्चे का. इस अधिनियम को 86वें संवैधानिक संशोधन के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। इसे पहली बार 2002 में एक विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया था और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने में 6 साल से अधिक समय लगा और अंततः 2009 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ इस आशय की भावना को 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 45)' में समाहित किया गया, जिसका उद्देश्य शासन का मार्गदर्शन करना था। इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि संविधान सभा 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 'सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा' के महत्व से अवगत थी। बाद की भारतीय सरकारों ने भी ऐसी नीतियां अपनाईं जो इस आकांक्षा को पूरा कर सकें। लेकिन इसे उचित 'अधिकार' में शामिल नहीं किया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 (अनुच्छेद 21 ए के रूप में सम्मिलित) में शामिल करके, इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ और अंततः स्वतंत्रता के छह दशकों के बाद नए अधिनियम ने लोगों और राष्ट्र की आकांक्षा को प्रतिबद्धता में बदल दिया। यद्यपि अधिनियम में मनोवैज्ञानिक कारणों से 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बाहर रखा गया है, लेकिन उन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मानदंडों के अनुसार शामिल किया जा सकता है।

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यूईई) को व्यवहार्य और टिकाऊ बनाने के लिए किसी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक आधार को मजबूत करने, व्यापक आधार देने, जोर देने की जरूरत है, लेकिन अधिक जोर देने की नहीं। संविधान के अनुच्छेद 45 में इसके महत्व को रेखांकित किया गया है, जिसके आधार और भावना की चर्चा "राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP)" में की गई है। डीपीएसपी ने राज्यों को 10 साल की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 को 1992 में संशोधित किया गया और एक नए अनुच्छेद 21ए के रूप में 86वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में शामिल किया गया, जिसे मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए भारत के संविधान के भाग I में जोड़ा गया था। बच्चों के लिए। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) 1 अप्रैल 2010 (भारत सरकार, 2009) से भारत में लागू हुआ। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, जो अनुच्छेद 21-ए के तहत परिकल्पित परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और न्यायसंगत गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करता है। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में 'निःशुल्क और अनिवार्य' शब्द शामिल हैं जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। 'मुफ़्त शिक्षा' का अर्थ है कि किसी भी बच्चे को, उसके माता-पिता द्वारा किसी ऐसे स्कूल में भर्ती कराया गया है, जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा समर्थित नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क या खर्च का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो शिक्षा को बाधित कर सकता है। उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरी करने से। 'अनिवार्य शिक्षा' में 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की सुविधा प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों का दायित्व शामिल है। समसामयिक स्थिति के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन और/या पुन: डिज़ाइन की आवश्यकता है, न केवल नवाचारों को शुरू करके बल्कि संपूर्ण शिक्षा वितरण तंत्र और विश्व स्तर पर अपनाई जाने वाली मूल्यांकन

www.ignited.in

प्रणाली में भी "शिक्षार्थी-केंद्रित" दृष्टिकोण विकसित करना।

साहित्य की समीक्षा

डॉ. मोनिका डूंगरवाल एवं अन्य। (2019) शिक्षा किसी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरटीई का यह अधिकार मौलिक है। कम से कम, छात्रों को किंडरगार्टन से दूसरी कक्षा तक जाने के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत भारत में प्राथमिक विद्यालय 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है, जिसे 2009 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। आरटीई अधिनियम की सफलता के लिए शिक्षकों का पूर्ण सहयोग महत्वपूर्ण है। , 2009 को लागू किया जा रहा है। यदि कोई प्रभाव डालना है तो प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को उनकी भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इस शोध का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि राजस्थान के उदयपुर जिले के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 से परिचित हैं या नहीं। इस डेटा को एकत्र करने के उद्देश्य से विशेष रूप से एक प्रश्नावली तैयार की गई थी। सर्वेक्षण में कुल 80 प्रश्न हैं, जिनमें से सभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम से परिचित होने से संबंधित हैं। कुल 240 लोगों ने सर्वे फॉर्म भरा. माध्य, डेटा का मूल्यांकन करने के लिए मानक विचलन 'टी' परीक्षण का उपयोग किया गया था। उदयपुर क्षेत्र के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्कूलों में शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में ज्ञान का स्तर कम पाया गया। अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में प्रचार-प्रसार करने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है।

एस्टालिन पी.के. और अन्य। (2019) इस शोध का उद्देश्य बांदा जिले में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के साथ परिचितता के स्तर का आकलन करना था। इसमें साठ प्रशिक्षकों (सामान्य, ओबीसी और एससी श्रेणियों में से प्रत्येक से 20) को चुना गया था। इस अध्ययन में भाग लेने के लिए यादृच्छिक। इस जांच के लिए, हम एक सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की आरटीई अधिनियम 2009 से परिचितता का स्तर स्व-निर्मित 'आरटीई अधिनियम 2009 जागरूकता पैमाने का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। माध्य अंतर का सांख्यिकीय महत्व टी-मान और एफ-मान का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। नतीजे बताते हैं कि सामान्य वर्ग के शिक्षकों को आरटीई अधिनियम 2009 की अधिक समझ है। और सामान्य वर्ग के प्रशिक्षकों की तुलना में, ओबीसी वर्ग के लोग कम जागरूक हैं, जबकि एससी वर्ग के लोग अधिक जागरूक हैं। एक समूह के रूप में, एससी शिक्षक 2009 के आरटीई अधिनियम के बारे में सबसे कम जानते हैं। और जब लिंग की बात आती है, तो पुरुष शिक्षकों के पास अपनी महिला समकक्षों की तुलना में व्यापक दृष्टिकोण होता है।

शिवम अग्रवाल एवं अन्य। (2019) यह सुनिश्चित करने के लिए कि 6 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को एक समान और समावेशी शिक्षा प्रणाली तक पहुंच प्राप्त हो, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम: (2009) 2009 में पारित किया गया था। यह समाज के सबसे वंचित समूहों के लिए आर्थिक निष्पक्षता और सामाजिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता से ओत-प्रोत था। पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशित कई अध्ययनों, पत्रों और शोध लेखों से पता चला है कि कैसे आरटीई अधिनियम के लक्ष्य पटरी से उतर गए हैं और उन नीति निर्माताओं की बुद्धिमत्ता पर संदेह हुआ है जो इसके कार्यान्वयन को चला रहे हैं। क्या सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली आरटीई को लागू करने में प्रभावी है? क्या इस अधिनियम में कोई ऐसा पहलू है जो मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा की आड़ में स्कूली शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है? ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। क्या सार्वजनिक और निजी स्कूलों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर है? इसके अलावा, क्या स्कूल ऐसे माहौल को बढ़ावा देने में सफल रहे हैं जहां लिंग, जाति, विकलांगता, सामाजिक आर्थिक स्थिति इत्यादि जैसे कारकों की परवाह किए बिना सभी को शिक्षा प्रदान की जा सके? इस पेपर में, मैं कुछ उत्तर ढूंढने का प्रयास करूंगा।

सेठी चारू एट अल. (2017) इस लेख का उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को लागू करने में एसएमसी सदस्यों की भूमिका की जांच करना है। यह सर्वेक्षण अध्ययन पूरी तरह से वर्णनात्मक है। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में एसएमसी के सदस्यों ने जानकारी प्रदान की। आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन में एसएमसी सदस्यों की भूमिका की जांच करने के लिए, बंद और खुले दोनों तरह के प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्राप्त आंकड़ों का व्यवस्थित तरीके से मात्रात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण किया गया। जांच के

नतीजे दर्शाते हैं कि जांच के दायरे में आने वाले स्कूलों में एसएमसी का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण है। शिक्षकों, अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों सभी को एसएमसी कैसे काम करती है, इसके बारे में अधिक शिक्षा की आवश्यकता है।

शुक्ला रोहित कुमार एवं अन्य। (2016) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में, यह लेख पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बुनियादी शिक्षा विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। इन कार्यक्रमों के बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, हम घर और स्कूल स्तर पर अनुमोदित हस्तक्षेप के पीछे की प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की जांच करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप की गुणवत्ता और उपयोग, साथ ही स्कूल में नामांकित नहीं होने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की उपलब्धता, सभी को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया था। परिणामस्वरूप, यह अनुशंसा की जाती है कि स्कूल बेहतर बुनियादी ढांचे में निवेश करें। अविकसित और विकसित क्षेत्रों में स्कूलों के बीच अंतर को कम करने के लिए मौजूदा प्रणाली और प्रावधानों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। उपस्थिति के मुद्दों, विशेषकर महिला छात्रों के बीच, को स्कूल प्रशासन समितियों द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पर अध्ययन

स्नेह (2018) ने "राजस्थान के चुरू और झुंझुनू जिले में आरटीई अधिनियम 2009 और इसके कार्यान्वयन और प्रभावशीलता के प्रति माता-पिता, शिक्षकों और छात्रों की जागरूकता का एक अध्ययन" विषय पर एक अध्ययन पूरा किया। और इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि सरकारी शिक्षक निजी शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में अधिक जागरूक हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में सरकारी स्कूलों के छात्र निजी स्कूल के छात्रों से अधिक जागरूक हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों के माता-पिता या अभिभावक निजी स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों की तुलना में अधिक जागरूक थे।

कुमार (2017) ने आरटीई के एक अलग पहलू के बारे में एचएम, शिक्षकों और एसएमसी सदस्यों की जागरूकता के स्तर की तुलना करने के उद्देश्य से "बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन: एक महत्वपूर्ण अध्ययन" पर अध्ययन किया। ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्र में अधिनियम, 2009 और आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल से बाहर के बच्चों के उम्र के अनुरूप प्रवेश के लिए की गई पहल का अध्ययन करना। अध्ययन से पता चला कि सभी एचएम, चाहे उनका इलाका कुछ भी हो, आरटीई अधिनियम, 2009 से परिचित थे। 65% प्रारंभिक विद्यालयों के पास आरटीई अधिनियम, 2009 की प्रति थी और 35% विद्यालयों के पास इसकी प्रति नहीं थी। 93.34% एचएम ने आरटीई अधिनियम, 2009 मानदंडों के अनुसार अपने स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया। 95.86% शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित प्रावधानों से अवगत थे। सामने आए आंकड़ों के अनुसार एसएमसी की जागरूकता का स्तर एचएम और शिक्षकों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक था।

मोहालिक (2018) ने झारखंड में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) पर एक अध्ययन किया: एक स्थिति अध्ययन। शोध का मुख्य उद्देश्य आरटीई अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की स्थिति और इसके प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाले मुद्दों का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया और मल्टीस्टेज यादृच्छिक नमूनाकरण विधि का उपयोग करके झारखंड राज्य के 44 प्रारंभिक विद्यालयों का चयन किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष से पता चला कि स्कूल प्रावधानों, सुविधाओं/संसाधनों और शिक्षण अधिगम सामग्री और स्टाफ सदस्य आदि से संबंधित आरटीई अधिनियम 2009 के अधिकांश प्रावधान प्राथमिक विद्यालयों में पूरी तरह से लागू नहीं किए गए हैं।

मजूमदार (2016) ने "पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा समय प्रबंधन पर छात्र शिक्षक अनुपात का प्रभाव: आरटीई, 2009, भारत के कार्यान्वयन पर आधारित एक अध्ययन" विषय पर एक अध्ययन किया है। और शोधकर्ता ने पाया कि स्कूल प्रबंधन, छात्रों की सीखने की गुणवत्ता और अन्य उपलब्धियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। शोधकर्ता ने स्कूलों में शिक्षकों की उचित संख्या के महत्व को दर्शाया। जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक थे वे शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों से बेहतर थे। शोधकर्ता ने सुझाव दिया कि हम अच्छे छात्र-शिक्षक अनुपात द्वारा मानकों को बढ़ा सकते हैं।

सिंह (2015) ने "बीटीसी छात्रों के बीच आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में जागरूकता का एक अध्ययन" पर एक अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि अधिकांश छात्र आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में

www.ignited.in

जानते हैं। कुछ छात्र आरटीई अधिनियम के 7 अध्याय और 38 अनुभाग के बारे में जानते हैं। अधिकांश छात्रों को आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा राज्य और स्थानीय शिक्षकों के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता है।

अली (2014) ने 'भारत में शिक्षा के अधिकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आईसीटी की भूमिका' विषय पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में शिक्षा के अधिकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका और क्षमता का पता लगाने का प्रयास किया गया। आईसीटी में देश भर में सीखने के अवसरों को अधिक व्यापक और समान रूप से वितरित करने की क्षमता है और यह शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध, सुलभ, स्वीकार्य और अनुकूलनीय बना सकता है।

फुलफोर्ड (2014) ने 'भारत में शिक्षा की ओर वापसी' विषय पर अध्ययन किया और पाया कि भारत में अधिक शिक्षा प्राप्त पुरुष और महिलाएं दोनों प्रति व्यक्ति अधिक खपत वाले घरों में रहते हैं। फिर भी उम्र समूहों और राज्यों को मिलाकर, शिक्षा का एक अतिरिक्त वर्ष पुरुष समूहों को केवल 4% अधिक खपत प्रदान करता है और महिला समूहों को कोई अतिरिक्त खपत नहीं देता है। यह परिणाम निम्नलिखित के लिए मजबूत है: (1) सर्वेक्षण माप त्रुटि के लिए लेखांकन, (2) घरेलू खपत और संरचना के विभिन्न माप, (3) राज्य और स्कूल की गुणवत्ता के आधार पर रिटर्न को भिन्न होने की अनुमति देना, और (4) उम्र की गलत रिपोर्टिंग। पर्याप्त रिटर्न वाला एकमात्र क्षेत्र नियमित मजदूरी कार्य में प्रवेश करना है जो अभी भी आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से को रोजगार देता है।

गुहा (2014) ने 'अंतर्राष्ट्रीयवादी कक्षा प्रबंधन: आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का अनुपालन करके कक्षा में बच्चों के सीखने के अधिकार को सुनिश्चित करना' विषय पर एक अध्ययन का संचालन किया। इस पेपर में कक्षा प्रबंधन की अवधारणा और इसकी आवश्यकताओं, अवधारणा और पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीयतावादी कक्षा प्रबंधन की रणनीतियाँ, कक्षा में बेहतर सीखने की स्थिति बनाए रखने के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के बाद के वर्षों में इसका निहितार्थ।

अग्रवाल और अग्रवाल (2013) ने लेख "आरटीई अधिनियम: वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियां और उपचार" में सुझाव दिया कि, हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत को प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत और परामर्श के माध्यम से अधिनियम को वास्तविकता बनाने में प्राथमिकता देनी चाहिए और निवेश करना चाहिए। सरकार के अंदर और बाहर. सभी प्रमुख हितधारकों को अधिनियम के कार्यान्वयन में सभी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए बढ़-चढ़कर काम करना चाहिए। अन्यथा यह एक और ऐसे कानून की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिसने संकल्पना और कार्यान्वयन के बीच की दूरी कभी तय नहीं की।

देवी (2013) ने 'बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009: आगे की चुनौतियाँ' विषय पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में आरटीई अधिनियम 2009 को लागू करने में कई चुनौतियाँ बताई गई हैं। कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं (1) केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय बाधाएँ (2) माता-पिता और अभिभावकों की वित्तीय बाधाएँ (3) बुनियादी ढांचे की कमी (4) स्कूलों की दुर्गमता (5) हमारे समाज का पिछड़ापन (6) वित्तीय पिछड़ापन (7) हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव (8) छात्र-शिक्षक अनुपात (9) माता-पिता या अभिभावकों में इस संवैधानिक अधिकार के बारे में जागरूकता की कमी (10) गरीबों के लिए 25% सीटों के आरक्षण के बारे में निजी स्कूलों की अनिच्छा। इस अधिनियम के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता और पूर्ण समर्पण से उपरोक्त चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अधिनियम के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता है। योग्य और प्रशिक्षित पूर्णकालिक शिक्षकों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए। छात्र-शिक्षक अनुपात कायम रखा जाए।

निष्कर्ष

आरटीई अधिनियम जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना और ज्ञान-आधारित समाज की नींव रखना है। यह कानून काफी हद तक उस दिशा में उत्प्रेरक का काम करता है जो असमानता को कम करने और सभी बच्चों के लिए गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद 21ए के तहत की गई थी, का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में शिक्षा की संतोषजनक और न्यायसंगत गुणवत्ता के साथ-

www.ignited.in

साथ पूर्णकालिक और नियमित प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जो सभी आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करता है।

संदर्भ

1. अग्रवाल, एस. मार्च (2019) भारत में प्राथमिक शिक्षा की खोज: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड सोशल साइंस वॉल्यूम 6 (3): 668-672
2. एस्टालिन, पी.के., और रत्नाकर, वी.के. (2018)। प्राथमिक शिक्षकों के बीच आरटीई अधिनियम 2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन। टेक्नोलर्न: एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 8(2), 85-91।
3. डुंगरवाल, एम., और त्रिपाठी, एम. (2019)। आरटीई अधिनियम के संबंध में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का आकलन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ होम साइंस, 5(2), 494-497।
4. कंसरा, आर., और कंसरा, पी. (2014)। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता: एक अनुभवजन्य विश्लेषण। मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, 5(3), 264-269।
5. कर, एन. (2019)। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 और असम के गोलाघाट जिले के स्कूलों में इसके अनुपालन पर एक अध्ययन। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान समीक्षाएँ, 7(6), 570-584।
6. कौशल, एम. (2012)। भारत में शिक्षा के अधिकार का कार्यान्वयन: मुद्दे और चिंताएँ। जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, 4(1), 42-48.
7. कृष्णा, ए.एच., तेजा, के.आर., और रवींद्र, के. (2020)। आंध्र प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की स्थिति: एक अनुभवजन्य विश्लेषण। एजुकेशनल क्वेस्ट-एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड एप्लाइड सोशल साइंसेज, 11(1), 7-18।
8. मोहालिक, आर. (2018)। झारखंड में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन: एक स्थिति अध्ययन। समाजशास्त्र और मानविकी में नवोन्वेषी अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 3(6), 12-20।
9. मोहालिक, आर. (2018)। झारखंड में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन: एक स्थिति अध्ययन। समाजशास्त्र और मानविकी में नवोन्मेषी अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। खंड: 3 अंक: 6, आईएसएसएन 2456-4931 (ऑनलाइन)।
10. पांडे, पी.के. (2013)। आरटीई अधिनियम-2009 के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करने के लिए ओडीएल प्रणाली का दायरा। इलाहाबाद: राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान।
11. आहूजा, ए. (2014), आरटीई अधिनियम संशोधन - वे कितने प्रगतिशील हैं? जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, पीपी. 22-28 वॉल्यूम। XXXIX, नंबर 4, एन.सी.ई.आर.टी.
12. कुमार, एन. (2013), शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सामाजिक-आर्थिक पहलू, प्राथमिक शिक्षक, पीपी. 16-27 खंड। XXXVIII नंबर 1 और 2, एन.सी.ई.आर.टी.

Corresponding Author

Mohammad Meraz Khan*

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

www.ignited.in